

प्ररूप एम.पी.एम.व्ही.आर. 22 (सी.एफ.ए.)

[नियम 28 (2) देखिए]

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र स्वीकृत/नवीकरण के लिये आवेदन-पत्र

प्रति,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी/प्राधिकृत परीक्षण स्टेशन

मैं एतद्द्वारा, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 56 द्वारा अपेक्षित उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी करने/  
नवीकरण के लिये आवेदन करता हूँ -

यान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न.....

स्वामी का नाम.....

वह स्थान जहाँ यान साधारणतया रखा जाता है.....

यान निर्माता का नाम.....

निर्माण मॉडल यदि न मालूम हो तो चक्राधार.....

रजिस्ट्रीकरण की तारीख.....

यान का प्रकार.....

इंजिन नंबर.....

चेसिस नंबर.....

यान के संबंध में पूर्व में स्वीकृत किए गए उपयुक्तता प्रमाण पत्र का विवरण ।

प्राधिकारी जिसके द्वारा स्वीकृत किया गया.....

प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्ति की तारीख.....

वैधता समाप्ति के कारण.....

उपयुक्तता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने के कारण.....

फीस की रकम रुपये.....स्सीद क्रमांक.....बुक क्रमांक.....

कोषालय चालान क्रमांक.....तारीख.....द्वारा संदत्त की गई है -

मैं, केन्द्रीय नियम के नियम 73 द्वारा अपेक्षित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र और.....द्वारा जारी

.....से.....तक वैधता का बीमा प्रमाण पत्र क्रमांक.....भी इसके साथ संलग्न करता हूँ।

तारीख.....199.....

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी